



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008

दूरभाष : 0135-2669415, फ़ैक्स न० : 2669382 e-mail boardofrevenue-uk@gov.in

संख्या:- 2461 / 4-सर्वे/रा0प0/20225-26

दिनांक: देहरादून फरवरी, 19 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

विषय:- मौजा पीलीपड़ाव परगना नजीबाबाद, तहसील व जनपद हरिद्वार में सर्वे बन्दोबस्त/  
सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएँ कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के अधिसूचना पत्र संख्या 87/XVIII(3)/2026-03 (1)/2026 दिनांक 13 फरवरी, 2026 जो परिषद एवं अन्य के साथ-साथ आपको भी पूष्ठांकित है, (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया है।

अतः अधिसूचना संख्या 87/XVIII(3)/2026-03 (1)/2026 दिनांक 13 फरवरी, 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)  
संयुक्त संचालक, चकबंदी,  
राजस्व परिषद।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 2-जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, देहरादून।
- 3-अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
- 4-स्टाफ ऑफ़ि़र, राजस्व परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संयुक्त संचालक, चकबंदी,  
राजस्व परिषद।

उत्तराखण्ड शासन,  
राजस्व अनुभाग-03,  
संख्या: 87/XVIII(3)/2026-3(1)2026  
देहरादून, दिनांक: 13 फरवरी, 2026

JDL

16/2/26

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम	कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
हरिद्वार	हरिद्वार	नजीबाबाद	पीलीपड़ाव	2092/10 बीघा खसरा न0. 01 से 610

SAO(Sec-2)

17/02/26

Digitally signed by  
Surendra Narayan Pandey  
Date: 12-02-2026  
16:48:20

(डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)  
सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी की 20-20 प्रतियां राजस्व अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by  
SURENDRA SINGH NEGI (सुरेन्द्र सिंह नेगी)  
Date: 13-02-2026  
11:30:01  
अनु सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 87/XVIII(3)/2026-3(1)2026 dated 13/02/26 for general information.

**GOVERNMENT OF UTTARAKHAND  
REVENUE SECTION-3**

**No. 87 /XVIII(3)/2026-3(1)2026  
DEHRADUN:DATED: 13 February, 2026**

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

**Schedule**

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Total Area
Haridwar	Haridwar	Najibabad	Piliparao	2092/10 Bigha khasra No. 1 to 610

Digitally signed by  
Surendra Narayan Pandey  
Date: 12-02-2026  
16:47:27

(Dr. Surendra Narayan Pande)  
Secretary, Revenue